

अधिसूचना  
सं० 14/2016-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सा०का०नि० (अ). केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 73ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 8/2006-सेवाकर, तारीख 19 अप्रैल, 2006 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा०का०नि० 224(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जिसको वित्त विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है ।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(क. कालिमुत्तु)

अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सा.का.नि. 224(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना सं० 8/2006-सेवा कर, तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 15/2011-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 172(अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।